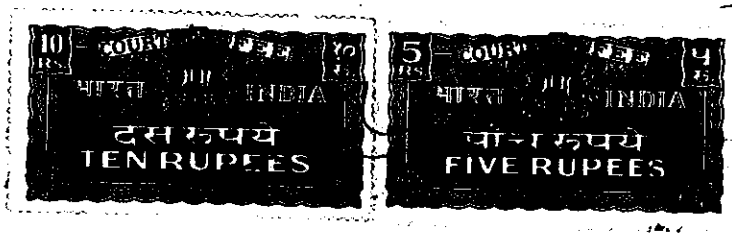

10 COURT INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 COURT INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

168

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /06

R 708/III/06

श्री के0 के0 द्विवेदी द्वारा आज दि0 13-4-06 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

1- घनश्याम पुत्र रामनाथ आदिवासी
2- मुलिया बेवा देवालाल आदिवासी
निवासीगण ग्राम पथरिटा ततारपुर
तहसील भाण्डेर जिला-दतिया म0प्र0

----- आवेदकगण

विरुद्ध

1- अशोक कुमार पुत्र शिवदयाल साहू
निवासी ग्राम पटटी ततारपुर हाल
कस्बा भाण्डेर जिला दतिया म0प्र0
2- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर
जिला-दतिया म0प्र0

---- अनावेदकगण

13-4-06 K.K. Dwivedi Advocate

न्यायालयअपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 130/05-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-3-06 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन पत्र।

माननीय महादय,

आवेदकगणो की ओर से निगरानी में निम्नलिखित निवदनहै:-

मामल क संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि ग्राम पंचायत ततारपुर के एक फर्जी प्रस्ताव 16 के आधार पर अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा फर्जी तरीके से अपने नाम दिनांक 29-2-1986 आबंटित करा ली थी इस आंबटन से पूर्व न तो विधिवत

2/--

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 708–दो/2006 जिला–दतिया

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18 – 11 –16	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एन0डी0 शर्मा उपस्थित। शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री बी0एन0त्यागी उपस्थित। 2/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ अनावेदकगण के अभिभाषकों द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। 4/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 130/2005–06/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–03–2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 5/ उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, दतिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी एन0ओ0सी दिनांक 14.07.2000 एवं उसके पूर्व के ग्राम	

पंचायत तातारपुर के संकल्प क्र0 16 दिनांक 29.02.86 को निरस्त किये जाने की मांग की गई। निरंतर इतनी लम्बी अवधी तक पंचायत के आलोच्य आदेश की जानकारी न होना संभव ही नहीं है और उसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एन0ओ0सी0 को भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। एक अभ्यावेदन के द्वारा दो आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। आवेदकगण ने ऐसा कोई ठोस आधार न तो इस न्यायालय में पेश किया है और न ही अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय में ही पेश किया है। जिससे कि यह साबित हो सके की उसका वादग्रस्त भूमि में अधिकार है अथवा वादग्रस्त भूमि भी उसकी है। इस तरह के अभ्यावेदनों के आधार पर कोई कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय ने आलोच्य आदेश में अपने स्थान पर उचित निर्णय लिया है। चूँकि आवेदकगण को आवंटित भू–खण्ड पर निर्माण हेतु एन0आ0सी चाहा गया। एन0ओ0सी के विरोध में कलेक्टर दतिया को अभ्यावेदन किया। आवंटन के विरूद्ध में कोई कार्यवाही नहीं की वह अंतिम हो चुका है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त ग्वायिलर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–03–2006 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य